कुढ़नी :— 640 / 21

जी0 आर0 :— 2741 / 21

21.09.21 दिनांक 21.08.21 से काराधीन आवेदक अभियुक्त मनीष कुमार की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति अभियोजन पक्ष को दी गयी। आवेदन को परिचालित किया गया।

सुना। जमानत के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे झुठा केस में फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 21.08.21 से न्यायिक अभिरक्षा में है। ऐसी दशा में आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाये।

अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त कुढ़नी थाना कांड संख्या 640 / 21 अन्तर्गत धारा 399, 402, 413, 414, 34 भा0 द0 वि0 एवं 25(1—बी)ए, 26, 35 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत नामित है। आवेदक अभियुक्त के उपर प्राथमिकी के अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सड़क और ट्रेन में चलने वाले व्यक्तियों के साथ लूटपाट करने और विरोध करने पर गोली मार देने का आरोप है। आवेदक अभियुक्त को पुलिस द्वारा घटना का अंजाम देने के लिए जाते समय गुप्त सूचना के आधार पर खदेड़ कर पकड़ा गया है तथा पकड़ायें व्यक्तियों के पास से तलासी के दौरान लोडेड देशी कट्टा एवं बिना कागजात के मोबाईल बरामद किया गया है। जो पुलिस द्वारा बनायी गयी जप्ती सूची से स्पष्ट होती है। जप्ती सूची पर आवेदक अभियुक्त का हस्ताक्षर भी है। ऐसी दशा में आवेदक अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य गंभीर पकृति का गैर जमानतीय अपराध है। अतः अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का कोई आधार नहीं पाता हूँ, तदनुसार आवेदक अभियुक्त मनीष कुमार का जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

ह0 / —

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम,

(पश्चिमी), मुजफ्फरपुर।